

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.- 8/ज.स.(नि.)देव-06/2007 :-

राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री विनय कुमार खॉ, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, बौंसी के विरुद्ध घोर अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता के मामले में विभागीय संकल्प सं. 1049 दिनांक 24.03.09 के द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री खॉ, कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31.12.2009 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उपरोक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी.) में सम्पुर्णित किया जाता है।

3. उक्त आदेश पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि.)।

ज्ञापांक:- 2332

/राँची, दिनांक:- 13-5-15

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री विनय कुमार खॉ, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, बौंसी, बौंका (बिहार) / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.5.15
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव(नि.)।

13-5-15